

18 न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

79

प्रहलाद कुमार

बनाम

गोपाल कुमार

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अभिलेख सं०-एम.....62/2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०-17/18 दिनांक-30-4-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीनी विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है</u>।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-06-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p>4 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>4 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>11-06-18</p> <p>परिशांति पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 29-06-18 को रखें।</p>	

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

14-12-18

अभिलेख अपर्याप्त । उभय पक्ष
अनुपस्थित । दिनांक 11-01-19 को
रखे ।


14/12/18

11-01-19

अभिलेख अपर्याप्त । उभय पक्ष
अनुपस्थित । उक्त वाद में 6(के.) का
की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद
काल बाधक हो गया है।

अतः वाद में अभिलेख की कालवधि
बन्द की जाती है।


11/01/19